दिल्ली विकास प्राधिकरण

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–11(क) के अंतर्गत **'दिल्ली डायनेमिक पार्किंग मानदंड नीति'** को प्रस्तावित किया है, जिसे एतद्–द्वारा सार्वजनिक सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित नीति को आपत्तियों/सुझावों को आमंत्रित करने हेतु पब्लिक डोमेन में रखा गया है। किसी भी व्यक्ति को प्रस्तावित नीति/संशोधन के संबंध में कोई भी आपत्ति हो/सुझाव देना हो तो वह इसे आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली–110023 को इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस (45) दिनों** की अवधि के भीतर लिखित में **अथवा** mpd2021.public@dda.org.in पर ई–मेल द्वारा भेज सकते हैं। टिप्पणी/विचार/सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन/संपर्क नंबर/ई–मेल आई.डी भी लिखे, जो पढ़ने योग्य हो।

ड्रॉफ्ट नीति का पाठ संदर्भ हेतु उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली –110002 में उपरोक्त अवधि में सभी कार्य दिवसों में उपलब्ध होगा। प्रस्तावित नीति/संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx पर भी उपलब्ध है।

हस्ता./–

फाइल सं.: एफ.15(01)2021–एमपी
दिनांक: 09.04.2021
स्थान: नई दिल्ली

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण

कृपया Google play के दि.वि.प्रा. एप पर अपना फीडबैक प्रदान करें।

"कृपया दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in देखिए या डायल करें 1800110332"

Size : 8cm X 12cm

[**भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ**]

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण/केंद्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11 (क) के अंतर्गत दिल्ली मुख्य योजना-2021 में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो/कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के जारी होने की तिथि से **पैंतालीस [45] दिन** की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, 'बी' ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में **अथवा** ई-मेल द्वारा **mpd2021.public@dda.org.in** पर भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम, पता और टेलीफोन नंबर/संपर्क नंबर/ई-मेल आई डी भी दें, जो पठनीय हो।

प्रस्तावित नीति:

दिल्ली डायनेमिक पार्किंग मानदंड नीति:

अ. परिभाषाएं:

क. मेट्रो कटौती (डिडक्शन): यदि कोई संपत्ति मेट्रो स्टेशन से पैदल दूरी पर स्थित है, उस संपत्ति में पार्किंग मांग में एक निर्धारित प्रतिशत तक कटौती होगी अर्थात मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर तक की दूरी पर स्थित संपत्तियों के लिए प्लॉट के अंदर पार्किंग की कटौती पार्किंग मानदंडों के 30 प्रतिशत की होगी तथा मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर से अधिक और 800 मीटर से कम की दूरी पर स्थित संपत्तियों हेतु प्लॉट के अंदर पार्किंग की कटौती पार्किंग मानदंडों के 15 प्रतिशत की होगी।

ख. एम.एल.सी.पी. कटौती: यदि कोई एम.एल.सी.पी. किसी संपत्ति की 1.0 कि.मी. की परिधि के अंदर स्थित है, उस संपत्ति के अंदर पार्किंग मांग में 10 प्रतिशत तक की कमी होगी।

ग. पार्किंग मानदंड : यह नीचे दिए गए सेक्शन स के अनुसार विभिन्न भूमि उपयोगों हेतु प्रदान किए जाने वाले पार्किंग स्थलों (ई.सी.एस.) की संख्या है।

घ. ई.सी.एस.: यह उपलब्ध कराया जाने वाला समतुल्य कार स्पेस है।

ब. अनुप्रयोज्यता

क. ये संशोधित पार्किंग मानदंड उन सभी स्थलों/संपत्तियों पर लागू होंगे जहां संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा नक्शें अनुमोदित किए जाने के बाद भी निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ है। ऐसे सभी मामलों में जहां नक्शे पहले ही अनुमोदित हो चुके है, संपत्तियों को इन संशोधित मानदंडों के अनुसार विकसित किया जाए और संबंधित स्थानीय निकाय को लिखित रूप में इसकी सूचना दी जाए तथा इसके लिए कोई अलग अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।

स. पार्किंग मानदंड:

क्रं.सं.	**दि.मु.यो.-2021 के अनुसार खंड**	**उपयोग जोन**	**पार्किंग जोन**	
			मौजूदा प्रावधान (दिमुयो.2021)	**प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन**
1.	**4.4.3 (ख)**	**आवासीय प्लॉट-समूह आवास**	• निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/ 100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग • ईडब्ल्यूएस/ सेवा कार्मिक आवास के लिए निर्मित क्षेत्र के 0.5 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	• ईडब्लयूएस/सेवा कार्मिक आवास संबंधी आवासीय इकाई का आकार: 40 वर्ग मीटर से कम-0.5 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग • आवासीय इकाई का आकार:40 वर्ग मीटर से 100 वर्ग मीटर तक: 1.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* के हिसाब से पार्किंग • आवासीय इकाई का आकार: 100 वर्ग मीटर से 200 वर्ग मीटर तक: 2.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई के हिसाब से पार्किंग • आवासीय इकाई का आकार: 200 वर्ग मीटर से ऊपर : 2.0 ईसीएस प्रति आवासीय इकाई* और अतिरिक्त 1.0 ईसीएस प्रति 100 वर्ग मीटर अथवा उसके भाग के हिसाब से पार्किंग

				• आवासीय इकाई आकार: कुरसी (प्लिंथ) क्षेत्र **सरकारी आवास परियोजनाओं के मामले में, पार्किंग मानदंड जीपीआरए कॉलोनियों के मामले में अपनाए गए लागू मानदंडों के अनुसार होंगे।**
2	**4.4.3 (ङ)**	**हॉस्टल/गेस्ट हाउस/लॉजिंग एवं बोर्डिंग हाउस/धर्मशाला**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 0.5 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
3.	**4.4.3 (च)**	**रैन बसेरा**	निर्मित क्षेत्र के 500 वर्ग मीटर से कम आकार के प्लॉटों के लिए पार्किंग शून्य निर्मित क्षेत्र के 500 वर्ग मीटर से अधिक आकार के प्लॉटों के लिए 2.0 ईसीएस के हिसाब से पार्किंग	कोई अनिवार्य पार्किंग प्रदान नहीं की जाती।
4.	**4.4.3 (छ)**	**स्टूडियो अपार्टमेंट**	निर्मित क्षेत्र, के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग बेसमेंट, यदि निर्मित है और केवल पार्किंग के लिए उपयोग की जाती है तो उपयोगिताओं और सेवाओं की गणना	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती

			एफएआर के लिए नहीं की जाएगी।	
5.	**4.4.3 (ज)**	**राज्य भवन/राज्य अतिथि गृह**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
6	**तालिका 5.4**	**सामुदायिक केंद्र/गैर श्रेणीबद्ध व्यावसायिक केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
7.	**तालिका 5.4**	**जिला केंद्र/सब सेन्ट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट/उप नगर स्तरीय व्यावसायिक क्षेत्र**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
8.	**तालिका 5.4**	**व्यावसायिक प्लॉट: रिटेल एवं कॉमर्स मेट्रोपोलिटन सिटी सेंटर अर्थात कनॉट प्लेस और उसका एक्सटेंशन**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
9.	**तालिका 5.4**	**फायर ब्रिगेड लेन और जनपथ लेन में व्यावसायिक परिसर**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

10.	**तालिका 5.4**	**होटल**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
11.	**तालिका 5.4**	**सर्विस अपार्टमेंट**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
12.	**तालिका 5.4**	**आसफ अली रोड (दिल्ली गेट-अजमेरी गेट स्कीम में कमर्शियल स्ट्रिप के रूप में दर्शाया गया क्षेत्र)**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
13.	**तालिका 13.2**	**अस्पताल/टेरटियरि हेल्थ केयर सेंटर**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती **सरकारी अस्पतालों हेतु** निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
14.	**तालिका 13.2**	**अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं** क. **प्रसूति गृह नर्सिंग होम/पॉलीक्लिनिक डिस्पेंसरी**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती

15.	**तालिका 13.2**	**अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं** ख. **परिवार कल्याण केंद्र बाल चिकित्सा केंद्र** **जरा चिकित्सा केंद्र** **डाईग्नोस्टिक सेंटर**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती
16.	**तालिका 13.2**	**क. पालतू पशु एवं पक्षियों हेतु पशु चिकित्सा अस्पताल** **ख. पालतू पशुओं एवं पक्षियों हेतु डिस्पेंसरी**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
17.	**तालिका 13.2**	**मेडिकल कॉलेज**	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)/ विनियामक निकाय के मानदंडो के अनुसार	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
18.	**तालिका 13.2**	**नर्सिंग और पैरामेडिकल संस्थान**	निर्मित क्षेत्र के 2 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
19.	**तालिका 13.2**	**पशुचिकित्सा संस्थान**	भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)/ विनियामक निकाय के मानदंडों के अनुसार	प्रशासन निर्मित क्षेत्र के 1.0 ई.सी.एस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
20.	**तालिका 13.2**	**कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान, शारीरिक शिक्षा केंद्र आदि**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती

				+ एमएलसीपी कटौती
21.	**तालिका 13.4**	**दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विद्यालय**	नियमित प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए यथा लागू के समान	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
22.	**तालिका 13.6**	**व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र (आई.टी.आई./पॉलिटेक्निक /व्यावसायिक/प्रशिक्षण संस्थान/प्रबंधन संस्थान/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान आदि)/ अनुसंधान एंव विकास केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
23.	**तालिका 13.6**	**जनरल कॉलेज**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
24.	**तालिका 13.6**	**व्यावसायिक महाविद्यालय (प्रोफेशनल कॉलेज) (तकनीकी)**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
25	**तालिका 13.6**	**अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र (आईईसी) सहित विश्वविद्यालय परिसर**	निर्मित क्षेत्र के 1.33 ईसीएस/ 100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
26	**तालिका**	**कॉलेज**	निर्मित क्षेत्र के	निर्मित क्षेत्र के 1.0

	13.6		1.33 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
27	तालिका 13.17	**बहुउद्देशीय समाज सदन**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
28	तालिका 13.17	**बैंक्वेट हॉल**	निर्मित क्षेत्र के 3.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 6.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग
29.	तालिका 13.17	**सामुदायिक मनोरंजनात्मक क्लब (ऑडिटोरियम)**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
30.	तालिका 13.17	**मनोरंजनात्मक क्लब**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
31.	तालिका 13.17	**प्रदर्शनी एवं मेला ग्राउण्ड**	वैधानिक अनापत्ति के अधीन	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती

				+ एमएलसीपी कटौती
32.	**तालिका 13.17**	**विज्ञान केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
33.	**तालिका 13.17**	**अंतराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
34.	**तालिका 13.17**	**सामाजिक-सांस्कृतिक केंद्र**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती
35.	**तालिका 8.2**	**जिला न्यायालय, एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय)**	निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग	**क) जिला न्यायालय-** निर्मित क्षेत्र के 2.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती **ख) एकीकृत कार्यालय परिसर, सरकारी कार्यालय (केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय), के लिए -**

				निर्मित क्षेत्र के 1.0 ईसीएस/100 वर्ग मीटर के हिसाब से पार्किंग + मेट्रो कटौती + एमएलसीपी कटौती

2. प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला दि.मु.यो.-2021 का पाठ निरीक्षण के लिए उपर्युक्त निर्दिष्ट अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों में उप निदेशक कार्यालय, मुख्य योजना अनुभाग, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 में उपलब्ध रहेगा। प्रस्तावित संशोधनों को दर्शाने वाला पाठ निम्नलिखित लिंक अर्थात http://119.226.139.196/ddaweb/MPD2021.aspx पर भी उपलब्ध है।

हस्ता/-

फाइल सं.: **एफ.15(01)/2021-एमपी**
दिनांक: 09.04.2021
स्थान: नई दिल्ली

(डी. सरकार)
आयुक्त एवं सचिव,
दिल्ली विकास प्राधिकरण